- 2 -

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग 1

संख्या– 119 /60–1–10–1/13(71)/06

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2011

:: कार्यालय ज्ञाप ::

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश, पालन–पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुव्यर्वहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से **"समेकित बाल संरक्षण योजना"** (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य सहमति पत्र (MEMORANDEUM OF UNDERSTANDING) पर दिनांक 24–11–2010 को हस्ताक्षरित हो जाने के उपरान्त महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–4931/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 03–12–2010 के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू हो चुकी है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदेश में राज्य स्तर पर **"राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति"** (STATE CHILD PROTECTION SOCIETY) का गठन किया जाना है। राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना है। राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के प्राधिकृत सदस्यों में निम्नलिखित विभागों के पदाधिकारियों को नामित किया जाता है–

क.सं.	नामित अधिकारी	नामित पद नाम
1	प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
3	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नियोजन विभाग	सदस्य
5	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7	निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

इसी प्रकार राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति की कार्यकारिणी में निम्नलिखित विभागों के पदाधिकारियों को नामित किया जाता है–

क.सं.	नामित अधिकारी	नामित पद नाम
1	प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

3	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
4	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
6	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
7	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
8	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
9	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, श्रम विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
10	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
11	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

अतः सभी समस्त नामित अधिकारी/प्राधिकारी समेकित बाल संरक्षण योजना के सम्बन्ध में जारी किए गए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के कम में महिला कल्याण विभाग द्वारा गठित की जाने वाली राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या–119 (1) /60–1–10–1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल हेतु।

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।